


| | | |
|--------------------|--|---|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>यशपाल सिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या : 78/2022</p> | <p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>13.05.2022</p> | <p>अपीलार्थी यशपाल सिंह कैयर ऑफ डा. जय सिंह राठौड़, निवासी नसरानी सिनेमा के पीछे, सरदारपुरा, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 03.03.2022 में उसके द्वारा (1) ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/49 को रक्षा सम्पदा के नाम से दर्ज करने के संबंध में रक्षा सम्पदा कार्यालय द्वारा समय-समय पर तहसीलदार, जोधपुर को प्रेषित समस्त पत्रों की प्रतिलिपि (2) उक्त पत्रों का तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिए गए जवाब की प्रमाणित प्रति (3) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया</p> |  |